न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—08/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/08)

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 125/2015.

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांटस.
   श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.

निर्णय

दिनांकः—28.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 125/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष दिनांक 25.10.2015 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के वर्किंग खसरा संख्या 3541 रकबा 54 बीघा 6 बिस्वा बड़े रकबे का है जिसमें वादी को खसरा नम्बर 3541/4 रकबा 16 बीघा दिनांक 3.9.1971 को भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आवंटित की गयी थी जिसे आवंटन के पश्चात वादी के नाम पर खातेदारी दर्ज नहीं की गयी तथा जो वाद पेश करने तक भी सिवायचक दर्ज थी। वादी द्वारा वाद पेश कर न्यायालय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त वाद पत्र को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दर्ज कर नोटिस जारी कर वास्ते जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.11.2015 नियत की गयी तथा दिनांक 25.4.2016 तक पत्रावली जवाब सरकार में नियत की गई। दिनांक 15.6.2016 को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को बिना वादी को नोटिस जारी किए न्याय आपके द्वारा अभियान (लोक अदालत) 2016 में नियत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 15.6.2016 को खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कर दिया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 125/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को लोक अदालत में नियत कर बिना प्रार्थी को नोटिस जारी किये निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी विकलांग होने से चलने फिरने में असमर्थ है जिसको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2016 की जानकारी दिनांक 2.11.2023 को हुई जब अपने पुत्र के साथ न्यायालय परिसर नसीराबाद में जाकर अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त की गई तब उपरोक्त आदेश की जानकारी हुई इसके पश्चात फीस की व्यवस्था कर अजमेर आकर वकील से संपर्क करने पर उनके द्वारा अपील की सलाह देने पर उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित की जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। वादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 23.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए दिनांक 15.6.2016 को तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर वाद का निस्तारण किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.9.2016 को अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त की गई। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी को वाद के निर्णय की जानकारी नहीं रही हो। किंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दिनांक 18.10.2004 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित निशक्तजन स्वास्थ्य शिविर 2004–2005 में विरेन्द्रसिंह को 80 प्रतिशत से अधिक निशक्त माना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को सद्भाविक माना जा सकता है अतः हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील का निस्तारण तकनीकि बिंदुओं पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद में पत्रावली को लोक अदालत में नियत कर बिना वादी/अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर निर्णय एवं डिक्री पारित की जो कि अपील काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनाक 15.6.2016 विधिक सिद्धांतो एवं विधिक प्रक्रियाओं की अवहेलना कर पारित किया गया है जिसका स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 15.6.2016 से होता है, जबकि लोक अदालत में किसी भी प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है तथा लोक अदालत में उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जाता है जिनमें सभी पक्षकार सहमत होकर प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है जो भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत की ओर से युद्धवीर था जिसका सन 1986 में एक्सीडेंट हो गया जिससे वह पूर्ण रूप से विकलांग हो गया तथा चलने फिरने में असमर्थ हो गया जो वाद प्रस्तुत करने के पश्चात अधिवक्ता के आश्वासन पर कोर्ट परिसर में जाने में असमर्थ था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 125/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 3541 रकबा 54–6–00 बडे रकबे का था। खसरा नम्बर 3541/4 रकबा 16–00 उसे आवंटित हुआ किंतु नियमन/आवंटन कार्य में उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादी का आवंटन निरस्त किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 110 भी राजस्थान आवंटन नियम 1970 के अनुसार नहीं होने के कारण खारिज किया गया है जो वादग्रस्त आराजी से संबंधित है। वर्किंग खसरा नम्बर 3541/4 रकबा 16–00 वर्किंग जमाबंदी में नाथू, श्रवण, भैरू की खातेदारी में दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का उक्त आराजी पर कबजा नहीं है। हाल खसरा नम्बर 4116 रकबा 2.62 सिवायचक दर्ज है। जिस पर कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश नहीं किए गए है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी वादी को आवंटित हुई हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उक्त आराजी पर आवंटन कार्य व खातेदारी का नामांतरकरण खारिज किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध वादी ने कोई चाराजोही नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष दिनांक 25.10.2015 को पेश किया। जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियान (लोक अदालत) 2016 में नियत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 15.6.2016 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश कि गई है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष वादी/अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। हमारे द्वारा अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विश्लेषण किया गया तो हमने पाया कि भूसंशोधन जमाबंदी सम्वत 2028 ग्राम बाघसुरी में खसरा संख्या 3541/4 विरेन्द्रसिंह वल्द नाथू सिंह कौम दरोगा गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त खसरा नाथूलाल, श्रवणलाल पुत्र भैरूलाल कौम गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–1253/राज/ग्रुप–1/72 पार्ट दिनांक 24.11.1992 की अनुपालना में राजस्व शिविर ग्राम बाघसुरी के लिए आयोजित किया गया जिसमें पूर्व की भूसंशोधन जमाबंदी में जो भूमि नियमन/छोटी पट्टी/आवंटन योग्य नहीं थी उसका परीक्षण किया गया जिसमें भूसंशोधन में अंकित गैरखातेदार विरेन्द्रसिंह वल्द नाथूसिंह खसरा संख्या 3541 रकबा 16 बीघा किस्म बीड चारागाह होने से तथा वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से निरस्त किया गया। वादी द्वारा पूर्व में भी एक राजस्व प्रकरण की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी जिसमें भी न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 25.1.1988 में यह मानते हुए निर्णय पारित किया है कि *" राजस्व अभिलेख में भूमि चारागाह दर्ज है और चारागाह भूमि पर आवंटन नियमन नहीं हो सकता है तथा भू संशोधन के द्वारा आवंटन व नियमन कि कार्यवाही हुई है अतः इस अवधि में जो भी कार्यवाही हुई है उसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि इस प्रकार अपीलांट इस भूमि पर अतिक्रमी है। यह भी स्थिति स्पष्ट है कि चारागाह की भूमि पर आवंटन या नियमन नहीं हो सकता फलस्वरूप अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाता है।"*

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 15.6.2016 में वादग्रस्त भूमि को वर्तमान में सिवायचक चारागाह दर्ज माना है व वादी का वाद खारिज किया है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी वादी को आवंटित हुई हो राजस्व अभिलेख में यह भूमि चारागाह दर्ज है और चारागाह भूमि पर आवंटन या नियमन नहीं हो सकता। भू संशोधन के द्वारा आवंटन व नियमन कि कार्यवाही हुई है अतः इस अवधि में जो भी कार्यवाही हुई है उसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त वादग्रस्त आराजीयात चारागाह के रूप में दर्ज है अतः उक्त भूमि की खातेदारी कतई नहीं दी जा सकती है। अपीलांट का यह कथन है की उनको साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में हमने सीपीसी की धारा 99 का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन है कि *"कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पडता है ना तो उलटी जाएगी और ना ही*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपांतरित की जाएगी।" उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 125/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 को यथावत जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

28/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner